फर्द अहकाम

मुकेश बनाम सरकार

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 14/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि[illegible]
		पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 09/12/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	09/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस को मनन किया गया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जा कर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] है तथा बाद प्रविष्टि दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

(Y2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
14 / 2024	05 / 02 / 2024	09 / 12 / 2024

1. मुकेश पुत्र गोकूल जाति कुम्हार (प्रजापति) मूल पैतृक निवासी राहोरी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण हाल निवासी प्लाट नं0 34, आमागढ, वैदपुरी आगरा रोड, जयपुर।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभावक

श्री महेश शर्मा :– वकील वादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

–: निर्णयः–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 436, 437 किता 2 कुल रकबा 0.2100है0 अनुसार ग्राम राहोरी, पटवार हल्का राहोरी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर स्थित राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण अंकित होकर वास्तविक व दस्तावेजी नाम के विपरित दर्ज होने से विवादित आराजियात है। वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अंकित अनुसार वादी पैतृक विरासत में खातेदार है लेकिन पैतृक विरासती राजस्व इन्द्राज करते समय रिकार्ड में प्राथी/वादी का नाम मुकेश पुत्र गोकूल के स्थान पर हनुमान पुत्र गोकूल कर दिया गया है। जो कि राजस्व कर्मचारियों की भूल द्वारा प्रार्थी/वादी का नाम त्रुटिपूर्ण इन्द्राज हो गया जिसको दुरूस्त करवाना वादी का अधिकार है। राजस्व कर्मचारी द्वारा सहवन से भूलवश, लिपिकीय त्रुटि के तहत वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी वादी का नाम हनुमान पुत्र गोकुल इन्द्राज कर दिया गया। जो कि भूलवश लिपिकीय त्रुटिपूर्ण इन्द्राज है, जबकि मुताबिक दस्तावेजात अनुसार प्रार्थी वादी का नाम मुकेश पुत्र गोकुल है। अतः उक्त वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादी के खातेदारी इन्द्राल हनुमान पुत्र गोकुल के स्थान पर मुकेश पुत्र गोकुल अनुसार खातेदारी दर्ज करने की घोषणा की जावें तथा तदानुसार राजस्व इन्द्राज में वादी के नाम का शुद्विकरण व दुरूस्तीकरण करने का आदेश प्रदान करें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एल0आर0/24/5840 दिनांक 11.11.2024 को रिपोर्ट/जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 436, 437 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2100है0 मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम राहोरी अनुसार वादी की सहखातेदारी दर्ज रिकार्ड है। पूर्व में नामा0 सं0 216 द्वारा विरासत से वादी का नाम हनुमान पुत्र गोकुल के नाम से नामा0 स्वीकृत होकर जमाबन्दी में नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत राहौरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र व वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार वादी का नाम मुकेश पुत्र गोकुल है। अतः दस्तावेजो अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में हनुमान पुत्र गोकुल के बजाय मुकेश पुत्र गोकुल शुद्व किया जाना अपेक्षित होगा। वकील वादी ने वाद पत्र के संबंध मे श्री बजरंग पुत्र गोकुल, श्री भीमराज पुत्र रामेश्वर, श्री रमेश पुत्र पांचूराम, श्री छीतर पुत्र गोकुल समस्त जाति कुम्हार (प्रजापति) समस्त निवासी ग्राम राहोरी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर का शपथ पत्र पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

अतः वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम ग्राम राहोरी, पटवार हल्का राहोरी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण के वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बरान 436, 437 किता 2 कुल रकबा 0.2100है0 के रिकार्ड में अंकित वादी का नाम हनुमान पुत्र गोकुल के स्थान पर हनुमान उर्फ मुकेश पुत्र गोकुल का अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 09.12.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ